संख्या- 23 /पी-800/अड़तीस-9-2014-82(पीएमजीएसवाई)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 12 अगस्त 2014**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1140/एफ-31(6)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2013-14, दिनांक-30-07-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के संचालन हेतु वेतन भत्तों के लिये सहायक अनुदान के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 1,49,86,000.00 (रूपये एक करोड उन्चास लाख छियासी हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रू0 74,93,000.00 (रूपये चौहत्तर लाख तिरानबे हजार मात्र) के दृष्टिगत लेखानुदान की सीमा तक शासनादेश संख्या-13/पी-426/अड़तीस-9-2014-82(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-22.04.2014 से अवमुक्त धनराशि रू0 49,95,000.00 (रूपये उन्चास लाख पन्चानबे हजार मात्र) को घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0 24,98,000.00 (रूपये चौबीस लाख अठानबे हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जाय।
2. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401 -उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,, दिनांक-22-07-2014 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>संख्या-23/पी-800/अड़तीस-9-2014, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in